न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)
नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री दिपेन्द्रसिंह राठौर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

प्रकरण संख्या :– 77/2012

दायर दिनांक:– 30/08/2012
निर्णय दिनांक:– 05/06/2015

1:– श्रीमती रूप उर्फ रूपी पत्नि भेमजी डेंडोर उम्र 55 वर्ष पेशा काश्त निवासी गढाझुमजी, तह. सागवाडा, जिला डूंगरपुर राजस्थान।

–वादीगण–

बनाम

1:–श्री डूंगर पिता भेमजी डेंडोर उम्र 40 वर्ष पेशा काश्त निवासी गढाझुमजी, तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राज.।
2:–श्री कालिया पिता डूंगर डेंडोर उम्र 28 वर्ष काश्त निवासी गढाझुमजी, तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राज.।
3:–श्री गौतम पिता लालजी डेंडोर उम्र 60 वर्ष पेशा काश्त निवासी गढाझुमजी, तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राज.।
4 श्री कालिया पिता डूंगर डेंडोर उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी गढाझुमजी, तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राज.।
5:– श्री मोतिया पिता धुला डेंडोर उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी गढाझुमजी, तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राज.।
6:– श्री जीवा पिता हिरा डेंडोर उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी गढाझुमजी, तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राज.।
7:– श्री शंकर पिता धुला डेंडोर उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी गढाझुमजी, तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राज.।
8:– श्री प्रभू पिता धुला डेंडोर उम्र वयस्क पेशा काश्त , निवासी गढाझुमजी, तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राज.।

–प्रतिवादीगण–

दफा–188,209 रा.टी.एक्ट।

वादी के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीया एवं प्रतिवादीगण एक ही जाति के होकर एक ही गांव के रहने वाले है वादीया के स्वत्व स्वामित्व की आराजियात के खाता नं 176 की आराजी नं 1480/421 रकबा एक बिघा दस बिस्वा मौजा गडा झुमजी में स्थित है। वादीया व उसके परिवार के लोग उक्त खाता नं की उक्त आराजी पर काबिज है तथा हर साल मक्की , कुरी ,बटी आदि फसल कर फसल प्राप्त कर रहे है। वादिया की उक्त आराजियात के चारों तरफ थुअर की बाढ मेहदूद है वादिया उक्त आराजी पर इस वर्षा ऋतु में कुरी बटी की फसल के लिये खेत में बीज रोप दिए है। प्रतिवादीगण उपरोक्त इस वर्षा ऋतु में वादीया के खेत में वादिया द्वारा की गई फसल को नुकसान पंहुचाने की गरज से अतिक्रमण कर हाकने आमादा है तथा धमकी देते है कि उक्त आराजी में हम नये सिरे से फसल कर उक्त आराजी को छीन लेंगे तथा दिनांक 10.07.2012 व दिनांक 18.08.2012 को उक्त आराजी में प्रवेश कर जबरदस्ती वृक्षारोपण करने की गरज से खड्डें खोदने की कोशिश की है जिससे वादीया को भय पैदा हो गया हे कि वे किसी भी समय प्रार्थीया की उक्त आराजी में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण अतिक्रमण कर कब्जा कर लेंगे जिससे प्रतिवादीगण को उपरोक्त को जरिए

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है। उक्त आराजी में प्रतिवादीगण को अतिक्रमण करने से नही रोका गया तो वादीया को ऐसा नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकेगी । अदि प्रतिवादीगण को उक्त आराजी में अतिक्रमण करने से रोक दिया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई नुकसान नहीं होगा। दौरान वाद प्रतिवादी वादीया की उक्त आराजी में अतिक्रमण कर कब्जा कर लेता है तो उसे कब्जा दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादिया कि उक्त आराजी में दिनांक 10.07.2012 व दिनांक 18.08.2012 को अतिक्रमण की चेष्टा की व धमकी देने से वाद कारण दिनांक 10.07.2012 व दिनांक 18.08.2012 को उत्पन्न हुआ। अतः निवेदन है कि वाद वादिया स्वीकार फरमाया जाकर निम्न डिग्री बहस वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावें कि खाता नं 176 आराजी 1480/421 1 बीघा 10 बिस्वा मौजा गडा झुमजी में स्थित है जिस पर प्रतिवादीगण को उपरोक्त आराजी में आने जाने से व अतिक्रमण करने से जरिए स्थाई निषेघाज्ञा रोका जावें । खाता नं 176 आराजी नं 1480/421 रकबा एक बीघा 10 बिस्वा जमीन पर प्रतिवादीगण दौरान वाद प्रतिवादीगण कब्जा कर लेने से उसके पास से कब्जा दिलाया जावें।

प्रतिवादी द्वारा पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 17.02.2014 को जवाब प्रतिवादी समाप्त किया गया । प्रतिवादी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किए जाने से तनकी कायम नहीं की गई। वकील वादी द्वारा शहादत प्रस्तुत न कर दिनांक 25.05.2015 को बहस सुनने हेतु निवेदन किया । अतः एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य एवं बहस पर मनन पश्चात निर्णय निम्नानुसार है।–

वादी द्वारा साक्ष्यों की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसके अनुसार संवत् 2068–71 की जमाबन्दी मौजा गढाझुमजी के खाता सं 176 में खसंरा सं 1480/421 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वादी के खाते में दर्ज है वादी के अनुसार उक्त आराजीयात पर प्रतिवादी अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहता है। प्रतिवादी द्वारा न ही जवाब प्रस्तुत किया एवं न ही साक्ष्यों द्वारा अपना पक्ष सिद्ध करने उपस्थित हुआ है अतः वादी चुकिं वादग्रस्त आराजी का खातेदार–काश्तकार है अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वह खाता सं 176 आराजी नं 1480/421 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा मौजा गडा झुमजी अतिक्रमण न करें। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार हों।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner